कार्यालय अंचल अधिकारी मुरहू

आदेश पत्रक

वाद संख्या —**03 / 2015—16**

आदेश का कम सं0 तारीख सहित	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे टिप्पणी सहित
01.03.2016	अनुमण्डल पदाधिकारी, खूँटी के पत्रांक 21 / सा0 दिनांक 11.02.2016 के आलोक में आवेदक श्री बाल किशुन महतो पिता स्व0 धनु महतो एंव महावीर महतो पिता रिझा महतो, वो भगीरथी महतो पिता स्व0 राम लगन महतो वगैरा सभी एक ही ग्राम गनालोया, थाना—मुरहू, जिला—खूँटी के निवासी है। बाल किशुन द्वारा खरीदगी भूमि संबंधित विवादित आवेदन, दिनांक 10.02.2016 को आयोजित जनता दरबार में प्राप्त पत्र के संदर्भ में अभिलेख आरम्भ की जाती है। आवेदक के आवेदन में उल्लेख किया गया है कि उनके द्वारा खरीदगी भूमि पर महावीर महतो,वो भगीरथी महतो वगैरह ग्राम गनालोया, थाना—मुरह के द्वारा अवैध रुप से कब्जा कर खेती कर रहे है। भूमि विवरणी निम्नवत है:— मौजा: गनालोया; थाना: मुरहू; थाना सं०: 273; खाता सं०: 34; प्लॉट सं०: 1084; रकबा: 0.99 ए0 इस संबंध में संबंधित राजस्व कर्मचारी को जाँच हेतु दें। राजस्व कर्मचारी जाँच प्रतिवेदन मन्तव्य के साथ अंचल निरीक्षक के माध्यम् से निर्धारित समय में दें। अभिलेख दिनांक 10.03.2016 को रखें। अंचल अधिकारी मुरहू	
10.03.2016		
3.2016	अभिलेख उपस्थापित। राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख में संलग्न है। दोनों पक्ष को आवेदित भूमि से संबंधित मूल कागजात अंचल न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु नोटिस निर्गत करें। अभिलेख दिनांक 30.03. 2016 को रखें। अंचल अधिकारी मुरहू	
6	अभिलेख उपस्थापित। दोनों पक्ष से मांग की गई कागजात प्रस्तुत किया। जो अभिलेख में संलग्न है। पदाधिकारी विधि व्यवस्था में व्यस्त। अभिलेख दिनांक 30.05. 2016 को रखें। अंचल अधिकारी मुरहू	
	अभिलेख उपस्थापित। उक्त तिथि को प्रथम् एवं द्वितीय पक्ष न्यायालय में उपस्थित। कर्मचारी हड़ताल में रहने के कारण इस वाद का प्रस्तुत नहीं किया जा सका है।	

04.07.2016

अभिलेख उपस्थापित। दोनों पक्षों को दिनांक 30.07.2016 को अद्योहस्ताक्षरी के न्यायालय में प्रस्तावित भूमि से संबंधित खतियान तथा लगान रसीद प्रस्तुत करने हेतु नोटिस निर्गत करें। अभिलेख दिनांक 30.07.2016 को रखें।

अंचल अधिकारी
गुरहू

30.07.2016

अभिलेख प्रस्तुत। दोनों पक्षों को नोटिस निर्गत किया एवं दोनों पक्ष उक्त तिथि को अंचल न्यायालय में उपस्थित हुए प्रथम पक्ष की ओर से उक्त भूमि से संबंधित खतियान तथा लगान रसीद का छायाप्रति प्रस्तुत किया गया। एवं द्वितीय पक्ष की ओर से लगान रसीद अप्राप्त हुआ।

न्यायालय अंचल अधिकारी ने पुनः अंतिम नोटिस निर्गत करने की आदेश दी। आदेशानुपालनार्थ पुनः दोनों पक्षों को अंतिम नोटिस निर्गत करें। अभिलेख दिनांक 16.08.2016 को रखें।

30/7/16

अंचल अधिकारी
गुरहू

16.08.2016

अभिलेख उपस्थापित। प्रथम् पक्ष उपस्थित द्वितीय पक्ष की ओर से भगीरथी महतो पिता स्व० राम लगन महतो, ग्राम–गनालोया थाना–मुरहू उपस्थित हुए। संबंधित भूमि का लगान रसीद द्वितीय पक्ष की ओर से उपलब्ध नहीं है। पदाधिकारी जिला बैठक में व्यस्त अभिलेख दिनांक 24.08.2016 को रखें।

1

16/8/16

अंचल अधिकारी
गुरहू

24.08.2016

अभिलेख उपस्थापित। आदेश हेतु अभिलेख दिनांक 28.08.2016 को रखें।

अंचल अधिकारी
गुरहू

28.08.2016

अभिलेख उपस्थापित। दोनों पक्ष से प्रस्तुत कागजात एवं राजस्व कर्मचारी के प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया। मौजा गनालोया थाना मुरहू थाना सं0 273, खाता सं0 34 प्लॉट सं0 1084, रकबा 0.99 एकड़ भूमि सर्वे खतियान में लोकनाथ तेली वो हरी तेली वो बीचू तेली वो अलगनाथ तेली वो जगरनाथ तेली पेशरान बुधनाथ तेली वगैरह के नाम से दर्ज है। प्रथम पक्ष आवेदक बाल किसुन महतो, ग्राम–गनालोया थाना–मुरहू के द्वारा खतियानी रैयत के पुत्र अलम नाथ तेली का हिस्से की भूमि को दो निबंधित पट्टा सं0 1617/1596 एवं 1618/1596 दिनांक 12.12.1974 द्वारा क्रय कर विधिवत दाखिल खारिज वाद सं0 21/1976–77 के द्वारा अपने नाम से नामान्तरण स्वीकृत कराकर लगान रसीद प्राप्त करते आ रहा है। लगान रसीद वर्ष 2015–2016 तक निर्गत है। राजस्व कर्मचारी के प्रतिवेदनानुसार पंजी ii में खाता सं0 34 रकबा 1.80½ एकड़ भूमि (आवेदक) बाल किशुन महतो, पिता धनु महतो, ग्राम–गनालोया के नाम से दर्ज है। प्रथम पक्ष बाल किशुन महतो

12.1974 द्वारा क्रय कर विधिवत दाखिल खारिज वाद सं0 21/1976–77 के द्वारा अपने नाम से नामान्तरण स्वीकृत कराकर लगान रसीद प्राप्त करते आ रहा है। लगान रसीद वर्ष 2015–2016 तक निर्गत है। राजस्व कर्मचारी के प्रतिवेदनानुसार पंजी ii में खाता सं0 34 रकबा 1.80½ एकड़ भूमि (आवेदक) बाल किशुन महतो, पिता धनु महतो, ग्राम–गनालोया के नाम से दर्ज है। प्रथम पक्ष बाल किशुन महतो से प्राप्त दस्तावेज पट्टा सं0 1617/1595 में अंकित खाता सं0 34 प्लॉट सं0 1084 रकबा 0.99 डी0 मद्धे 24 डी0 एवं पट्टा सं0 1618/1596 खाता सं0 34 प्लॉट सं0 1084 दो क्यारी भूमि खाता सं0 34 अन्दर खेवट सं0 3/17 रकबा 0.99 डी0 मद्धे रकबा 0.75 डी0 दोनों पट्टा से खरीदगी भूमि 0.24+0.75 डी0 कुल रकबा 0.99 एकड़ भूमि है। राजस्व कर्मचारी प्रतिवेदित किया है कि ग्राम गनालोया खाता सं0 34 कुल रकबा 1.80½ एकड़ भूमि बाल किशुन महतो, पिता धनु महतो के नाम से पंजी ii में दर्ज है। किन्तु खाता सं0 34 के प्लॉट सं0 1084 रकबा 0.99 डी0 भूमि का ही विवाद है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत कागजातों का अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त प्रश्नागत भूमि पर प्रार्थी का पूर्ण अधिकार एवं हक है। विपक्षीगण उक्त भूमि को अपने कब्जे में लेकर खेती कर रहे हैं, जो सरासर गलत एवं अवैध है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में एवं आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदक श्री बाल किसुन महतो पिता स्व0 धनु महतो साकिन गनालोया थाना सं0 275, खाता स0 34, प्लॉट सं0 1084, रकबा–0.99 एकड़ भूमि पर पूर्ण अधिकार है।

अतः आवेदक के आवेदन को स्वीकार किया जाता है, तथा विपक्षीगण के दावा को निरस्त किया जाता है। विपक्षी सक्षम न्यायालय में अपील दायर कर सकते है। अतः अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

अंचल अधिकारी
मुरहू

28/8/16
अंचल अधिकारी
मुरहू

D:\Circle Office Murhu\2017\Sabha